HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 779/2026

1. Conflict With Law Kishore Fi S/o Sh. Sattar (Natural Guardian), Date Of Birth 15.02.2010 R/o Gram Gadhaner, Police Station Pahari District Deeg (Raj.) Through His Natural Guardian His Father Sh. Sattar S/o Sh. Rahmat (At Present Confined In Observation Home, Bharatpur)
2. Conflict With Law Kishore Bi S/o Sh. Alam (Natural Guardian), Aged About 15 Years, Date Of Birth 12.04.2011 R/o Gram Kathaul, Police Station Pahari District Deeg (Raj.) Through His Natural Guardian His Father Sh. Alam S/o Sh. Kamal Khan. (At Present Confined In Observation Home, Bharatpur)

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anoop Kumar with Mr. Ankit Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Rajendra Singh Shekhawat, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27/04/2026

अधीनस्थ विचारण न्यायालय, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, **किशोर न्याय बोर्ड, डीग, जिला डीग** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**73/2026,** पुलिस थाना–**पहाड़ी, जिला डीग** में पारित आदेश दिनांक **09.04.2026,** जिसके तहत याचीगण–किशोरगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **12** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम खारिज किया गया एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय–**जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग (राज0), पदेन न्यायाधीश–बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, डीग, राजस्थान** द्वारा आपराधिक अपील संख्या–**115/2026** में पारित आदेश दिनांक **21.04.2026** जिसके

तहत याचीगण–किशोरगण की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा **101** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम खारिज की गई, से व्यथित होकर याचीगण–किशोरगण की ओर से **जरिये संरक्षक** यह फौजदारी पुनरीक्षण याचिका (जमानत) प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता याचीगण का तर्क रहा है कि याचीगण अवयस्क किशोर हैं, उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि याचीगण/किशोरगण दिनांक 19.03.2026 से सम्प्रेक्षण गृह में है, उन्हें लम्बे समय तक सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध रखे जाने से उनके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य तथा भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, याचीगण–किशोरगण को यदि जमानत की सुविधा दी गई तो वे अपने परिवारजन के संरक्षण में अधिक सुरक्षित रहकर अपना अनुकूल भविष्य निर्मित कर सकेंगे। उनका यह भी निवेदन है कि किशोरगण के विरूद्ध पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज/लंबित नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का आक्षेपित आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है, किशोर के मामलों में अपराध की गंभीरता को नहीं देखा जाना है, अपितु किशोर का हित सर्वोपरि है, प्रकरण की जांच में समय लगेगा। अतः ऐसी स्थिति में धारा 12 जे0जे0 एक्ट के प्रावधानों को देखते हुए आक्षेपित आदेश अपास्त करते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका (जमानत) स्वीकार की जाकर याचीगण/किशोरगण को सुपुर्दगी पर दिए जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता, किशोरगण की अच्छी परवरिश नहीं होने तथा दोनों आक्षेपित आदेशों को विधिक प्रावधानों की मन्शा के अनुरूप होना बताते हुए आक्षेपित आदेश पुष्ट किए जाने तथा यह पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण द्वारा रखे गए तर्कों–वितर्कों, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में आए तथ्यों, विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रीं का अवलोकन किया। याचीगण सुकुमार अवस्था के किशोर हैं, किशोर के मामलों में अपराध की गंभीरता को नहीं देखा जाना है, बल्कि किशोर का हित सर्वोपरि है। अतः परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, मामले की

परिस्थितियों, धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान, याचीगण–किशोरगण के भविष्य के हित एवं अन्य सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना, यह जमानत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः याचीगण–विधि से संघर्षरत बालकगण/किशोरगण 1. ''**फि.'' पुत्र श्री सत्तार, 2. ''बि.'' पुत्र श्री आलम** की ओर से जरिये संरक्षकगण प्रस्तुत यह फौजदारी पुनरीक्षण याचिका (जमानत) स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक क्रमशः 09.04.2026 एवं 21.04.2026 अपास्त किए जाते हैं एवं आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक याची/किशोर की ओर से उसका संरक्षक विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, **पचास हजार रूपये का स्वयं का बन्ध–पत्र एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां** इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि वे याचीगण/किशोरगण को जमानत के दौरान अपनी संरक्षकता में सुरक्षित रखेंगे, किसी आपराधिक व्यक्ति/तत्व के सम्पर्क में नहीं आने देंगे एवं किशोरगण को विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उन्हें नियत प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित कर देंगे, तो किशोरगण को इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जाए।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /11